



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिष्ठान से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, बुधवार, 26 अक्टूबर, 1989/कार्तिक 4, 1911  
No. 563] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1989/KARTIKA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन को रूप में  
रखा जा सके  
Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कामिक, लोक शिकार, असाधारण मंत्रालय  
(कामिक, असाधारण मंत्रालय)

MINISTRY OF PERSONNEL, PENSIONS AND FINANCES  
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Pensions)

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1989

New Delhi, the 26th October, 1989

स. 928(ए) के अन्तर्गत, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 1 नवम्बर, 1989 से आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की एतद्वारा स्थापना करती है जो कि उक्त अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (ग) के अन्तर्गत "नियत दिन" होगा।

G.S.R. 928 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government on receipt of a request in this behalf from the Government of Andhra Pradesh hereby establishes the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st day of November, 1989 which shall be the 'appointed day' within the meaning of clause (c) of section 3 of the Act.

[संख्या ए-11019/9/88-(i)-एटी.]

[No. A.11019/88 (i)-AT]

3051 GI/89

(1)